

## अनुसूची II

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए जारीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जानकारी का प्रोफार्मा (मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को वाणिज्यिक पत्र निर्गमित होने के 3 दिनों के भीतर जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (आईपीए) के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति:

मुख्य महाप्रबंधक  
वित्तीय बाजार विभाग  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट  
मुंबई - 400 001.

के माध्यम से: (आईपीए का नाम)

महोदय

### *वाणिज्यिक पत्र जारी करना*

रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2003 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में हमने निम्न विवरण के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी किए हैं:

i) जारीकर्ता का नाम :

ii) पंजीकृत कार्यालय और पता:

iii) व्यावसायिक गतिविधि:

iv) स्टॉक एक्सचेंज के नाम  
जिसके साथ शेयर सूचीबद्ध हैं:  
(यदि लागू हो)

v) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के  
अनुसार मूर्त निवल मूल्य:

(vi) कुल कार्यशील पूंजी सीमा:

(vii) बकाया बैंक उधार:

(viii) (ए) जारी वाणिज्यिक पत्र का ब्यौरा

(अंकित मूल्य): जारी तिथि परिपक्वता तिथि राशि दर

i)

ii)

(बी) वर्तमान वाणिज्यिक पत्र सहित

बकाया (अंकित मूल्य) वाणिज्यिक

पत्र की राशि:

ix) क्रेडिट रेटिंग इनफार्मेशन i)

सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) ii)

या रिजर्व बैंक द्वारा iii)

निर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी

से प्राप्त रेटिंग

x) क्या वाणिज्यिक पत्र जारी करने के मामले में आपाती सुविधा प्रदान की गई है?

xi) यदि हाँ

i) आपाती सुविधा

की राशि : करोड़ रुपये

ii) द्वारा प्रदान किया गया

(बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम)

xii) क्या वाणिज्यिक पत्र जारी करने के

मामले में बिना शर्त और अपरिवर्तनीय

गारंटी प्रदान की गई है?

xiii) यदि हाँ

i) गारंटी की राशि : करोड़ रुपये

ii) द्वारा प्रदान किया गया  
(गारंटीकर्ता का नाम)

iii) गारंटीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग

के लिए और उनकी ओर से

---

(जारीकर्ता का नाम)